न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2/2019, जिला सीकर

1. भागीरथ पुत्र श्री कानाराम, जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम खोरू, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान। — अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री गोपीराम,
2. श्रवणी देवी बेवा श्री गोपीराम,
जाति मेघवंशी, निवासीगण ग्राम खोरू, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. भगवानी बेवा श्री हरजीराम,
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री हरजीराम,
5. नेमीचन्द पुत्र श्री हरजीराम,
6. सांवरमल पुत्र श्री हरजीराम
समस्त जाति मेघवंशी, निवासीगण ग्राम खोरू, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
7. तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
8. उप—पजीयक, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
9. पटवारी हल्का जसरासर, वास्ते ग्राम खोरू।
10. ग्राम पंचायत जसरासर जरिये सरपंच।

— परफोर्मा रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 13.03.2018

उपस्थित—

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री वी.एस.राठौड, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट नं. 3 लगायत 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 7 लगायत 9।
5. रेस्पो. नं. 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक —10.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 के खिलाफ प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.12.2018 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रामकुमार पुत्र गोपीराम व श्रवणी देवी पत्नी गोपीराम ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 218 जो ग्राम पंचायत जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर पेश की गई कि अपीलान्ट (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2) के पूर्वज गोपीराम पुत्र कानाराम के खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमियॉ पुराने खसरा नं. 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 61/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नं. 106 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नं. 58 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नं. 61/2 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नं. 106 रकबा 5.12 हैक्टेयर, वाके ग्राम खोरू, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर जिसमें उनके पिता व पति गोपीराम का सम्पूर्ण हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त था तथा रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के पिता व पति गोपीराम की विरासत केवल मात्र उनकी पत्नी व पुत्र के नाम होनी चाहिए थी, किन्तु ग्राम पंचायत जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलान्ट नं. 1 व

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट नं. 3 लगायत 6 के नामों से हिस्सा 2/3 नामा0 सं. 218 दिनांक अपठित स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 218 दिनांक अपठित के खिलाफ रामकुमार पुत्र गोपीराम, श्रवणी देवी बेवा गोपीराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष दिनांक 14.10.2015 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 218 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में स्व0 गोपीराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रकिया पूर्ण करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट भागीरथ पुत्र कानाराम द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष अपनी अपील में किये गये कथन को झूंठा/गलत बताते हुए तथा उनको नामान्तरकरण संख्या 218 की जानकारी बहुत पहले से ही थी, के बाबत अपीलान्ट द्वारा एतराज मय सबूत लिखित में प्रस्तुत किये, जिन पर बिना गौर किये ही उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा बहस सुनने के काफी दिनों के बाद दिनांक 13.03.2018 पीछे की तारीख में बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये कथनों को सही मानते हुए उनके चाहे अनुसार निर्णय कर नामान्तरकरण संख्यां 218 को खारिज कर दिया, जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी किसी भी माध्यम से नहीं दी गयी। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2018 पारित करने से पूर्व ना तो राजस्व रिकॉर्ड का सही अवलोकन किया तथा ना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उज्रात व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का मौका ही दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नामान्तरकरण संख्या 218 के बारे में शुरू से ही जानकारी व ज्ञान रहा है। इसके बावजूद उनके द्वारा विधि की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं की है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में व धारा–5 अवधि अधिनियम में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है और साथ ही पटवारी हल्का के द्वारा किये गये कथन बाबत पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपनी अपील में विवादित भूमि खसरा नं. 58, 61/2, 106 वाके ग्राम खोरू, तहसील लक्ष्मणगढ को अपने पिता व पति गोपीराम के खाते कब्जे व काश्त की भूमियां होना व गोपीराम की विरासत केवल मात्र उनकी पत्नी व पुत्र के नाम होनी चाहिए, तथाकथित रूप से अपील में वर्णित किया है और अपीलान्ट व परफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के नाम 2/3 हिस्से की खातेदारी गलत बताया है। जबकि खसरा नं. 106 रकबा 5.12 हैक्टेयर भूमि के बंटवारे बाबत एक वाद भागीरथ बनाम रामकुमार आदि अधीरनस्थ न्यायालय में विचारित होकर दिनांक 12.07.2013 निर्णय व डिकी बंटवारे की पारित की गई थी, जिसके मुकदमा संख्या 78/2005 हैं, जिसकी अपील अपीलान्ट के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहॉ प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.04.2014 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गई, जो वाद आज भी विचाराधीन है। उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकुमार व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रवणी देवी जरिये अधिवक्ता रिडमल सिंह के न्यायालय में उपस्थित हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए खसरा नं. 106 को संयुक्त खातेदारी की भूमि होना स्वीकार किया है और उक्त दावे में न्यायालय के द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार लक्ष्मणगढ के माध्यम से मंगवाया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.05.2012 व बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.11.2012 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उनकी स्वेच्छा से किये गये हस्ताक्षर इस बाबत को प्रमाणित करते हुए कि उनके द्वारा खसरा नं. 106 की भूमि को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट, परफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्वीकार किया है, जिसमें अपील में किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कथन सर्वथा झूंठा व मनगढन्त साबित होता है। ग्राम पंचायत जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 218 की न्यायिक कार्यवाही सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात की गई है। जिसे गलत व साजिशी बताने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपनी अपील के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की अपील को कोई बल मिलता हो, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.03.2018 पारित करने में कानूनी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.03.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि रेस्पों संख्या 1 व 2 के पिता व पति गोपीराम की विरासत केवल मात्र उनकी पत्नि व पुत्र के नाम होनी चाहिये थी। किन्तु ग्राम पंचायत खोरू के पटवारी हल्का ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ से सांठ गांठ करके तथा ग्राम पंचायत से मिलकर अपीलांटस की भूमियां गलत रूप से अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के नाम से हिस्सा 2/3 गलत खातेदारी दर्ज कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलान्टस को पूर्व में नहीं हो पाई थी। इन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा बंटवारे की डिकी जारी कर दी। जिसकी अपील अपीलान्ट संख्या 1 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत कि गई जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.07.2013 मु.नं. 78/5 निरस्त की जाकर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को रिमांड की जा चुकी है। उक्त रिमांड होने के पश्चात अपीलान्ट संख्या 1 के द्वारा यह कहा गया कि हमने तुम्हारे पूर्वजों कि भूमियां हडपली है तथा हम खातेदार बन गये हैं। इस पर पटवारी हल्का ने कहा की तुम्हारी नकल राजस्व रिकार्ड में मिलेगी इस पर हम रेस्पों.सं. 1 व 2 द्वारा उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 24.09.2015 को प्राप्त कर व अन्य राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात के बारे जानकारी हुई व अधिनस्थ ग्राम पंचायत नाराजगी में अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ पंचायत खोरू द्वारा भरा गया नामा0 संख्या 218 दिनांक अपठित विरूद्ध कानून तथा पत्रावली है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व पटवारी हल्का से व गिरदावर हल्का से सही जांच नहीं करवाई गई। केवल मात्र पंचायत ने उक्त नामान्तरकण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को छोडकर राजनैतिक द्वेषता के आधार पर भरा गया है। उक्त नामा0 तस्दीक करते समय अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक स्थिति की व वारिसान की जांच न कर केवल मात्र पटवारी व तहसीदार की साजिशी रिपोर्ट के आधार पर गलत नामान्तरकरण भर दिया गया। यह कि सम्वत 2012 से ग्राम खोरू का खसरा नम्बर 106 का हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 61/2, खसरा नम्बर 58 की काश्त गोपी पुत्र काना जाति मेघवंशी निवासी खोरू के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। सम्वत 2015 में काना पुत्र नारायण को खसरा नम्बर 106 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार मानकर नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 11.07.1959 काना की विरासत गोपी, हरजी, भागीरथ पुत्रगण काना के नाम खसरा नम्बर 106 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा दर्ज की गयी, जबकि तत्समय काना पुत्र नारायण खसरा नम्बर 106 ग्राम खोरू का खातेदार ही नहीं था। खसरा नम्बर 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5 बीघा पूर्ववत गोपी पुत्र काना के नाम रहा। नामान्तरकरण सख्या 58 दिनांक 10.08.1960 को धारा 19 के तहत खसरा नम्बर 106 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा में काश्त के आधार पर खातेदारी गोपी पुत्र काना हिस्सा आठ आना

(1/2) हुकमा पुत्र नारायण हिस्सा आठ आना (1/2) स्वीकार किया गया तथा खसरा नम्बर 58 व 61/2 खातेदारी पूर्ववत गोपी पुत्र काना के नाम ही रही। गोपी पुत्र काना के नाम ग्राम खोरू तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के खसरा नम्बर 106 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा का हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5 बीघा खसरा नम्बर 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा अकेले की खातेदारी में रहा। इसमें रिकार्ड के अनुसार किसी अन्य का हिस्सा सिर, सांझा, स्वत्व अधिकार किसी भी रूप में नहीं रहा। इसमें रिकार्ड के अनुसार रेस्पो. सं. 1 व 2 के पूर्वज गोपी पुत्र काना ने अपने जीवन काल में ही प्राप्त की थी। इस कारण अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 3 लगायत 6 की कोई पैत्रिक संपदा नहीं होते हुए भी विद्वान अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामांतरकरण बिना कोई राजस्व रिकार्ड का अध्ययन व अवलोकन तथा बिना जांच के तथा बिना किसी अधिकारी के निर्णय व डिक्री के आदेश के बिना गलत रूप से भरा गया होने के कारण निरस्तनीय है तथा कोई काननून तहसीलदार द्वारा किसी निर्णय अथवा आदेश या अन्य किसी न्यायालय या विभागीय कोई आदेश के नामांतरकरण भरने का कहीं कोई कानूनी हक, अधिकार नहीं होते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके उपरोक्त नामान्तरकरण गलत रूप से व साजशी तथा बिना अपीलांटस को किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई तथा जवाब देही का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वज की भूमि का अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पो.सं. 3 लगायत 6 के नाम से नामान्तरकरण भरने का कोई कानूनन हक अधिकार नहीं होते हुए भी उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत जसरासर द्वारा स्वीकार किया गया जो निरस्तनीय है। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां करने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 218 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में स्व0 गोपीराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पारित किये गये हैं, जो विधि अनुसार है। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला दौसा ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2018 पारित किया जा चुका है। जिसके कारण यह अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

प्रतिलिपित संस्थापन प्रामुख जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि गोपी पुत्र काना के नाम ग्राम खोरू तहसल लक्ष्मणगढ जिला सीकर के खसरा नम्बर 106 रकवा 20 बीघा 5 बिस्वा का हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 61/2 रकवा 5 बीघा खसरा नम्बर 58 रकवा 7 बीघा 8 बिस्वा अकेले की खातेदारी में रहा। रिकार्ड के अनुसार रेस्पो. सं. 1 व 2 के पूर्वज गोपी पुत्र काना ने अपने जीवन काल में ही प्राप्त की थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांकित अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में स्व0 गोपीराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पारित किये गये हैं। हमारा विनम्र मत है कि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका नामांतरकरण विरासत के आधार पर ही खोला जाना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के तथा–कथित कब्जे के आधार पर विरासत का नामांतरकरण नहीं खोला जा सकता। नामान्तकरण में भागीरथ पुत्र कानाराम, भगवानी बेवा हरजीराम, ओमप्रकाश पुत्र हरजीराम, नेमीचन्द पुत्र हरजीराम, सांवरमल पुत्र श्री हरजीराम जो कि विवादित भूमि में कोई विधिक वारिसान नहीं है। अपीलांट को अनुतोष नियमित

Scanned with OKEN Scanner

वाद से मिल सकता है। जिसकी अपील विचाराधीन है। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के आदेश दिनांक 13.03.2018 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2018 पारित किया जा चुका है। जिससे अपील निष्फल (Infructuous) हो चुकी है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.03.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 13.03.2018 यथावत रखा जाता है।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner